पावर ट्राँसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
निदेशक (मानव संसाधन) कार्यालय
विद्युत भवन, नजदीक–आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून–248002
दूरभाष नं0 0135–2643023 फैक्स नं0 0135–2640528 email:- ashish_kumar@ptcul.org

पत्रांक /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी.एस. दिनांक 19 –04–2018

समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–।)/(स्तर–।।),
समस्त अधीक्षण अभियन्ता,
समस्त अधिशासी अभियन्ता,
पिटकुल, ...।

विषयः– विभिन्न व्यक्तियों द्वारा अपने निजी वाहनों पर पर (आगे व पीछे) अपने राजनैतिक दल/सगंठन सस्थान/प्रतिष्ठान/संस्था के नाम/पदनाम एवं भारत सरकार, उत्तराखण्ड सरकार अथवा सरकारी कार्यालय के नाम का प्रयोग प्रतिबन्धित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या–243/ix–1/2016/दिनांक 13–04–2016 कि प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। उक्त शासनादेश के अनुसार मोटरयान अधिनियम, 1988 एवं केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के प्राविधानों के अनुसार वाहनों में नम्बर प्लेट पर पंजीयन संख्या के अतिरिक्त कुछ भी अंकित किया जाना दण्डनीय अपराध है एवं किसी गैर सरकारी वाहन में नेमप्लेट लगाये जाने की व्यवस्था वर्तमान में नही है। समय–समय पर प्रवर्तन की कार्यवाही के दौरान ऐसा देखा गया कि विभिन्न गैर सरकारी, निजी वाहन, टैक्सी एवं किराये के वाहनों में रजिस्ट्रेशन प्लेट के अतिरिक्त प्रभाव सूचक विभिन्न प्रकार की नाम पट्टिका, उत्तराखण्ड सरकार की मुहर का प्रयोग अनधिकृत रूप से किया जा रहा है। ऐसे वाहनों में नेमप्लेट, भारत सरकार एवं उत्तराखण्ड सरकार की मुहर/चिन्ह का प्रयोग किया जाना नियमों के विरूद्व है। साथ ही ऐसा किये जाने से सुरक्षात्मक व प्रशासनिक अव्यवस्था तथा वाहनों के दुरूपयोग की सम्भवनायें विद्यमान रहती है।

इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव महोदय के उक्त पत्र द्वारा यह निदेश हुआ है कि किसी भी व्यक्ति/अधिकारी/कर्मचारी द्वारा अपने निजी वाहन (आगे व पीछे) पर अपने संगठन/संस्थान/राजनैतिक दल/प्रतिष्ठान/संस्था के नाम/पदनाम एवं भारत सरकार उत्तराखण्ड सरकार अथवा सरकारी कार्यालय का नाम अंकित नही करेगा।

अन्यथा की स्थिति मोटरयान अधिनियम, 1988 एवं केन्द्रीय मोटयान नियमावली, 1988 के प्राविधानों अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त शासनादेश का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय

(आशीष कुमार)
निदेशक (मा0सं0)

पत्रांकः 113 /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी.एस. तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक (वित्त)/(परिचालन)/(परियोजना), पिटकुल, देहरादून।
2. उपमहाप्रबन्धक (सूचना एवं प्रौद्योगिकी), पिटकुल, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश को कारपोरेशन की वैबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।

(आशीष कुमार)
निदेशक (मा0सं0)

प्रेषक,

शत्रुघ्न सिंह,
मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

संख्या 243/ix-1/ /2016

सेवा में,

1—समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन

2—परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

3—आयुक्त, गढ़वाल/कुमांऊ मण्डल।
उत्तराखण्ड।

4—पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड

5—समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

6—समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/
पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।

7—समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

परिवहन अनुभाग—1

देहरादूनः दिनांक 13 अप्रैल, 2016

विषयः—विभिन्न व्यक्तियों द्वारा अपने निजी वाहनों पर (आगे व पीछे) अपने राजनैतिक दल/संगठन/संस्थान/प्रतिष्ठान/संस्था के नाम/पदनाम एवं भारत सरकार, उत्तराखण्ड सरकार अथवा सरकारी कार्यालय के नाम का प्रयोग प्रतिबन्धित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या—636/ix—1/103/2013 दिनांक 20 अगस्त, 2013 एवं शासनादेश संख्या—79/ix—1/—/2014 दिनांकः 12 मई, 2014 (प्रतिलिपि संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे।

2— मोटरयान अधिनियम, 1988 एवं केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के प्राविधानों के अनुसार वाहनों में नम्बर प्लेट पर पंजीयन संख्या के अतिरिक्त कुछ भी अंकित किया जाना दण्डनीय अपराध है एवं किसी गैर सरकारी वाहन में नेमप्लेट लगाये जाने की व्यवस्था वर्तमान में नही है। समय—समय पर प्रवर्तन की कार्यवाही के दौरान ऐसा देखा गया कि विभिन्न गैर सरकारी, निजी वाहन, टैक्सी एवं किराये के वाहनों में रजिस्ट्रेशन प्लेट के अतिरिक्त प्रभाव सूचक विभिन्न प्रकार की नाम पट्टिका, उत्तराखण्ड सरकार की मुहर का प्रयोग अनधिकृत रूप से किया जा रहा है। ऐसे वाहनों में नेमप्लेट, भारत सरकार एवं उत्तराखण्ड सरकार की मुहर/चिन्ह का प्रयोग किया जाना नियमों के विरूद्ध है। साथ ही ऐसा किये जाने से सुरक्षात्मक व प्रशासनिक अव्यवस्था तथा वाहनों के दुरूपयोग की सम्भवनाये विद्यमान रहती है।

3— उपरोक्त शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है। जिसके फलस्वरूप मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में योजित जनहित याचिका संख्या—29/2014 मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निजी वाहनों पर असंवैधानिक रूप "भारत सरकार", "राज्य सरकार" अथवा विभिन्न अंकित किये जाने का संज्ञान लेते हुए उक्त को प्रतिबन्धित किये जाने की कार्यवाही का निर्देश दिया गया है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि किसी भी व्यक्ति/अधिकारी/कर्मचारी द्वारा अपने निजी वाहन (आगे व पीछे) पर अपने संगठन/संस्थान/राजनैतिक दल/प्रतिष्ठान/संस्था के नाम/पदनाम एवं भारत सरकार उत्तराखण्ड सरकार अथवा सरकारी कार्यालय का नाम अंकित नहीं करेगा। अन्यथा की स्थिति मोटरयान अधिनियम, 1988 एवं केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के प्राविधानों के अनुसार दण्डात्मक की जायेगी।

कृपया उपरोक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय

(शत्रुघ्न सिंह)
मुख्य सचिव